



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 माघ 1947 (श10)

(सं० पटना 145) पटना, मंगलवार, 3 फरवरी 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय

कार्यालय आदेश

3 अक्तूबर 2025

सं० 1 स्था०-82/2025-661/वि०सं०।— सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना सं०-19300, दिनांक 13.10.2023 में निहित प्रावधान एवं बिहार विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-2857, दिनांक 25.09.2025 के तहत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत उच्चतर पद का प्रभार देने हेतु वरीयता के आधार पर बिहार विधान सभा सचिवालय के सुरक्षा संवर्ग में निम्नांकित सुरक्षा प्रहरी को सहायक अवर मार्शल के विहित वेतनमान (वेतन स्तर-5) सहित उत्क्रमित करते हुये अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	वर्तमान धारित पद
1.	श्री अखिलेश कुमार सिंह	सुरक्षा प्रहरी
2.	श्री मो० मोसरेफ एकबाल खाँ	सुरक्षा प्रहरी
3.	श्रीमती रेणु कुमारी	सुरक्षा प्रहरी
4.	श्री राजेश कुमार अकेला	सुरक्षा प्रहरी
5.	श्री विनोद कुमार पाल	सुरक्षा प्रहरी
6.	श्री सच्चिदानंद राम	सुरक्षा प्रहरी
7.	श्री राजेश कुमार तिवारी	सुरक्षा प्रहरी
8.	श्री प्रमोद कुमार	सुरक्षा प्रहरी
9.	श्री अखिलेश बिन्द	सुरक्षा प्रहरी
10.	श्री धर्मेन्द्र कुमार	सुरक्षा प्रहरी
11.	श्री मो० रिजवान	सुरक्षा प्रहरी
12.	श्री रविशंकर कुमार	सुरक्षा प्रहरी
13.	श्री मनीष कुमार	सुरक्षा प्रहरी
14.	श्री गणेश कुमार पासवान	सुरक्षा प्रहरी
15.	श्री नरेन्द्र पाण्डेय	सुरक्षा प्रहरी
16.	श्री अमित कुमार वर्मा	सुरक्षा प्रहरी

17.	सुश्री नीलू	सुरक्षा प्रहरी
18.	श्री जय प्रकाश कुमार	सुरक्षा प्रहरी
19.	श्री सिद्धनाथ चौधरी	सुरक्षा प्रहरी
20.	श्री दीपक कुमार	सुरक्षा प्रहरी
21.	श्रीमती अनामिका कुमारी	सुरक्षा प्रहरी

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना सं०-19300, दिनांक 13.10.2023 में निहित शर्तों के अधीन है।

3. उपर्युक्त कर्मियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक सहायक अवर मार्शल (विहित वेतनमान-वेतन स्तर-5) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपर्युक्त कर्मियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक अवर मार्शल के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

इस अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था के तहत वेतनमान सहित दिये जाने वाले प्रभार संबंधी आदेश में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर उस हद तक आदेश में संशोधन कर दिया जाएगा तथा संबंधितों को भुगतान की गयी राशि में से अंतर राशि वापस ले ली जायेगी।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
अमलेन्द्र प्रसाद महतो,
निदेशक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 144-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>